कार्यालय प्राचार्य – वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय
तखतपुर, जिला – बिलासपुर (छ. ग.)495330

मो. न. 9893303023
E mail – 125govtgirlscollege@gmail.com

पत्र क्र. 150 /स्था / 2025

तखतपुर, दिनांक:- 26 /07/2025

प्रति,

प्राचार्य
अग्रणी महाविद्यालय – बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: अतिथि व्याख्याता द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के सम्बन्ध में |

विषयान्तर्गत लेख है कि अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के बिंदु क्रमांक 3.3 के अनुसार इस महाविद्यालय का अतिथि व्याख्याता द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन आपकी वेबसाइट पर प्रकाशन के लिए संलग्न कर प्रेषित है |

26.7.2025

प्राचार्य
वीरांगना रानी दुर्गावती
शासकीय कन्या महाविद्यालय,
तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
वीरांगना रानी दुर्गावती
शासकीय कन्या महाविद्यालय
तखतपुर जि. बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य – वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय

तखतपुर, जिला – बिलासपुर (छ. ग.)495330

मो. न. 9893303023 E mail – 125govtgirlscollege@gmail.com

पत्र क्र. 148 /स्था / 2025 तखतपुर, दिनांक:- 26/07/2025

//अतिथि व्याख्याता द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 289/01/अमाफि/राज-स्थ- /2025, नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23-07-2025 के परिपालन में वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में भौतिकशास्त्र विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अभ्यर्थी समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 05-08-2025 को सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं कार्यालय में प्राप्ति पुष्टि के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार होगी। विनियम 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा: अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पद का विवरण

स. क्र.	विषय	रिक्त पद	अतिथि व्याख्याता हेतु रिक्त पद
1	भौतिक शास्त्र (सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध)	01	01

टीप – संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप पद भर जाने पर मान पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

1. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल/पी-एच.डी. योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. पी-एच.डी./ एम. फिल में प्रकाशित शोध पत्रों को छोड़ कर यूजीसी केयर में प्रकाशित शोध पत्रों की छायाप्रति एवं यूजीसी केयर लिस्ट में होने का प्रमाण |
3. मेरिट सूची शासन द्वारा निर्धारित मापदंड/ अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार होगी |
4. दिनांक 05-08-2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को ही गुणांक सूची में शामिल किया जाएगा। ईमेल से भेजे गए आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। वर्तमान में ऑफलाइन या डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकारने की इस प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
5. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
6. प्राप्त आवेदनों की प्रथम अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 08-08-2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल एवं अग्रणी महाविद्यालय-शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जाएगा।
7. गुणांक अनुसार अंतरिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 11-08-2025 से 12-08-2025 तक होगी।
8. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 13-08-2025 को किया जाएगा, जिसका अवलोकन अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाइट एवं सूचना पटल में किया जाएगा।
9. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य असंतोषजनक पाए जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं।

10. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में दायित्व स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस स्थिति में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

11. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होंगी।

12. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा:–

क्र	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
अ) 40-45 मिनट के व्याख्यान के लिए			
1	40-45 मिनट के व्याख्यान के लिए	400/-	300/-
2	चार कालखंडो के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30000/- प्रतिमाह अधिकतम)
ब) 60 मिनट के व्याख्यान के लिए			
1	60 मिनट के व्याख्यान के लिए	500/-	350/-
2	चार कालखंडो के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35000/- प्रतिमाह अधिकतम)

13. अतिरिक्त कार्यों के लिये अतिथि व्याख्याता को प्रति कार्य दिवस ₹400/- एवं प्रति माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिये ₹8000/- रु. देय होगा। किसी भी स्थिति में अध्यापन कालखण्ड हेतु मानदेय एवं अतिरिक्त कार्यों हेतु मानदेय को मिलाकर ₹50,000 से अधिक का मासिक भुगतान नहीं किया जायेगा अर्थात् मासिक भुगतान की अधिकतम सीमा ₹50,000 रु. होगी। अतिथि शिक्षण सहायकों को प्रति कार्य दिवस ₹300/- रु. एवं प्रति माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिये ₹6000/- रु. देय होगा।

14. अभ्यर्थी बंद लिफाफे के ऊपर प्राचार्य, वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन 495330, एवं आवेदन विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।

15. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक-सेवक की विधिक परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहे जाएँगे।

16. संस्था में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जाएगी।

17. इन्हें पूर्ण अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

18. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य जैसे प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेलकूद गतिविधियाँ, युवा महोत्सव, बाह्य परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, यूजी मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

19. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में उनके अध्यापन कार्य संबंधी या अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकती हैं तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

20. विज्ञापन के प्रकाशन में किसी प्रकार की त्रुटि आदि होने पर उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेज (जैसे शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति 2024 एवं अन्य संदर्भित आदेश आदि) के प्रावधान लागू होंगे। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में प्राचार्य या आवश्यकता होने पर उच्च शिक्षा संचालनालय/विभाग द्वारा की गई व्याख्या/निर्णय अंतिम व प्रभावी होगा।

Sd/-

प्राचार्य
वीरांगना रानी दुर्गावती
शासकीय कन्या महाविद्यालय,
तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
वीरांगना रानी दुर्गावती
शास. कन्या महाविद्यालय
तखतपुर

पृ. क्र. 149/स्था./ अति. व्या/ 2025 तखतपुर, दिनांक 26.07.2025

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
3. अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय. बिलासपुर (छ.ग.)।
4. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अग्रणी महाविद्यालय बिलासपुर

Sd/- 26.7.2025

प्राचार्य
वीरांगना रानी दुर्गावती
शास. कन्या महाविद्यालय
तखतपुर, जि.-बिलासपुर (छ.ग.)